

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैंक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/6823

दिनांक:- 09/09/25

कार्यालय आदेश

श्रीमती रुचिका व्यास, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 747570) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) जयपुर के राजकाज संदर्भ नम्बर 16486095 दिनांक 11.07.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम-93 के अनुसरण में निम्नानुसार रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.04.2025 से 17.04.2025 तक (कुल 10 दिवस)
(चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

श्रीमती रुचिका व्यास, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के अवकाश लेखों में से उक्त स्वीकृत रूपान्तरित अवकाश के दो गुने अर्थात् कुल 20 (बीस) दिवस के अर्द्ध वेतन अवकाश घटा दिये जावें, जिसका इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

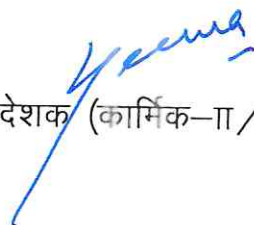

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/6823

दिनांक:- 09/09/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्रीमती रुचिका व्यास, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (कार्मिक-II/III)